the Central Government for this purpose.

Furthermore, a working knowledge of the local language Konkani would also be very useful for officers from outside the Territory who are posted in Goa.

A short course could be conducted in Goa to impart a working knowledge of the local language to the officers outside the Territory who are posted there. Incentives could also be given to such of them who do well in this course. I urge the Home Ministry to take up these matters with the sympathy and urgency that they require.

(v) Interim Relief to extra departmental employees of P & T.

SHRI SUSHIL BHATTACHARYA (Burdwan) : Under Rule 377, I make the following statement :

Out of a total of eight and half lakh employees serving in the Post and Telegraph Department nearly three lakhs are hapless Extra Department Agents receiving a monthly wage varying from Rs. 129/- to Rs. 232/- for working generally as departmental employees in the rural post offices. The Supreme Court gave a verdict that the Extra Departmental employees are also civil Servants. On 26.7.1983 the Finance Minister announced on the floor of this House that all government servants will be eligible to get an interim relief ranging from Rs. 50/- to Rs. 100/-. I request the Government to treat the Extra Departmental employees also at par with the regular employees for the purpose of grant of interim relief.

(vi) Need to provide protection to Citizens and maintenance of Law and Order in the Country

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं सदन को और स्पीकर को। मेरे इस वक्तव्य का काफी मंशा गृह मंत्री ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवा के पूरा कर दिया है। यह वक्तव्य निरंकारियों के बारे में है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

मानवीय कत्ल चाहे वह धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति या भाषा, प्रान्त अथवा नगर के आधार पर होता है, राष्ट्र के लिए कलंक है। चाहे वह कत्ल अमृतसर में सिख सम्प्रदाय के लोग हों और फिर कड़ी से कड़ी उसके बदले में आतंकवादी साम्प्रदायिक लोग निरंकारियों के नाम पर कत्ल करें, यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। किसी भी सम्प्रदाय और धर्म के मानने वाले को यह शोभा नहीं देता कि दूसरे सम्प्रदाय के प्राणियों को कत्ल करें या कत्लेआम करने में सहयोग दें। निरंकारियों का आतंकवादियों द्वारा कत्ल देश में एक समस्या बन गई है। या तो सरकार कमजोर है या रक्षा नहीं करना चाहती है। सरकार को हर नागरिक के प्राण की रक्षा करनी चाहिए और अगर कोई बात किसी के धर्म के खिलाफ है, तो उसकी जांच करके उसका समाधान करना चाहिए। अब निरंकारियों ने शहीदी जत्था बना कर उसको अमृतसर ले जाने का फैसला किया है और उधर से दूसरे सम्प्रदाय के आतंकवादियों ने उसका जवाब धमकी में दिया है। इससे देश में तनाव और हिंसा बढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता।

निरंकारी बाबा से लगा कर लाला जगत नारायण और आज तक कितने कत्ल हुए, इसका हिसाब किसके पास है? मेरी लोक सभा के माध्यम से निरंकारियों एवं दूसरे सम्प्रदाय के लोगों से अपील है कि वे अपने फैसले पर पुनः विचार करें और जनहित को ध्यान में रखते हुए शहीदी जत्थे को स्थगित करें और उग्रवादी, पृथकता-